

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय

क्रमांक : प्रस्था/मंत्रा/जी/सू.अ./05/


जयपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का त्वरित एवं नियत अवधि में निस्तारण की कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए निदेशालय स्तर पर निम्नानुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी नियोजित किये जाते हैं।

क्र. स.	लोक प्राधिकरण का नाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी	सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	प्रशासनिक विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्थान	संयुक्त शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्थान		प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान
2.	विज्ञापन अनुभाग, निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क, राज.	सहायक निदेशक, विज्ञापन	सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, विज्ञापन	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान
3.	विज्ञापन शाखा के अतिरिक्त निदेशालय स्थित अन्य समस्त अनुभाग	अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन	उप निदेशक, प्रशासन	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान
4.	समस्त जिला कार्यालय एवं सूचना केन्द्र	सहायक निदेशक/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी/सहा. सूचना एवं जनसम्पर्क अधि.	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान

निदेशालय स्तर पर सूचना का अधिकार हेतु एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त होने से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण को गति मिलेगी। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक-30.06.2014 के अनुक्रम में निदेशालय स्तर पर सूचना का




अधिकार के तहत एकल खिड़की व्यवस्था लागू की जाती है। एकल खिड़की व्यवस्था के लिए संयुक्त निदेशक प्रशासन को प्रभारी अधिकारी नियुक्ति किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करने का कार्य अति.निदेशक (प्रशा.) के निर्देशन में सम्पादित करेंगे।

१२२५-२१२
२५/७/१५

sd-
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, सूचना आयुक्त, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव महोदय, सूजस विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव गृह-5 विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रको. शासन सचिवालय जयपुर।
5. सचिव राज्य सूचना आयोग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर।
9. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक/सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी, सूचना जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. सहा.निदेशक (विज्ञापन) एवं सूचना जनसम्पर्क अधिकारी विज्ञापन को पालनार्थ।
12. प्रभारी अधिकारी, सूचना केन्द्र नई दिल्ली/कलकता/मुम्बई/जयपुर।
13. एसीपी, कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
14. उपनिदेशक (भण्डार) उक्तानुसार सूचनापट्ट तैयार करवाकर लगवाये जाने हेतु।
15. सूचनापट्ट।
16. गार्ड फाईल।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव